

कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्ध
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्
सिविल लाइन्स, बदायूं।

पंजीकृत

पत्रांक

/स०प्र० बदायूं/आवंटन

दिनांक

प्रदेशन-पत्र

सेवा में,

श्री / श्रीमती / कु०
पुत्र / पत्नी / पुत्री श्री .
निवासी-

महोदया,

आप द्वारा दिनांक _____ की नीलामी में _____ स्थित आवासीय भूखण्ड संख्या _____ हेतु दी गई उच्चतम बोली/बिड रुपये _____/- प्रति वर्ग मीटर परिषद् मुख्यालय द्वारा स्वीकृत किये जाने की सूचना प्राप्त हुई है। अतः उक्त आवासीय भूखण्ड किस्त क्रय पद्धति पर परिषद् द्वारा निर्धारित सामान्य नियम एवं शर्तों के अधीन आवंटित किया जाता है, जिसके विरुद्ध दिनांक _____ तक निम्नलिखित विवरण के अनुसार भुगतान अपेक्षित है :-

(क) भूखण्ड का क्षेत्रफल _____ वर्ग मी. कार्नर	(ख) जमा टोकन धनराशि	रु० _____
भूखण्ड का मूल्य ग्रीडोल्ड शुल्क एवं कॉर्नर शुल्क सहित (यदि भूखण्ड कार्नर का है तो)		रु० _____
(ग) नकद क्रय पर भुगतान योग्य धनराशि		रु० _____
(घ) आधा नकद/किस्त क्रय पद्धति पर भुगतान योग्य धनराशि		
1- अपेक्षित शेष पंजीकरण धनराशि	रु०	0.00
2- प्रथम किस्त के साथ एक मुश्त/आधा नकद देय धनराशि	रु०	_____
3- शेष धनराशि निकटतम रु० 100/- के पूर्णांक में	रु०	_____
4- अवशेष मूल्य रु० _____ पर _____ प्रतिशत ब्याज लगाकर बनाई गई _____ मासिक किस्तें जो दिनांक _____ से देय होगी	रु०	_____
4- जमा योग्य धनराशि (योग)	रु०	_____

(घ) विविध शुल्क

1. विलेख निष्पादन व्यय जी.एस.टी.सहित	रु० _____
2. विज्ञापन व्यय जी.एस.टी.सहित	रु० _____
3. साईट प्लान फीस	रु० _____

नोट :- 1- अगली किस्त दिनांक _____ से देय होगी।

2- कृपया विविध व्यय (विलेख निष्पादन व्यय एवं साईट प्लान शुल्क) एवं उस पर देय जी०एस०टी० की धनराशि अनिवार्य रूप से डेडवाइज अलग जमा पर्ची पर जमा करें। सम्पत्ति के मूल्य/किस्त की धनराशि के साथ जमा न करें।

3- किसी भी देय धनराशि के विलम्ब से भुगतान करने पर (7.95% साधारण + 2 % अतिरिक्त) 10.95% वार्षिक ब्याज की दर से दण्ड ब्याज देय होगा।

4- न्यायालय के आदेश से अथवा अन्य किसी कारणों से उक्त मूल्य में परिवर्तन करना पड़ेगा तो तदनुसार आपको भुगतान करना होगा।

उपरोक्त विवरण के अंश ग अथवा घ तथा च में अंकित धनराशि इंडसिड बैंक, इन्द्रा चौक, बदायूं में परिषद् के खाता संख्या 156104700001, आईएफएससी कोड - INOB-0001047 एवं विविध खाता संख्या _____ में दिनांक _____ तक अलग-अलग चालान पर अवश्य जमा करनी होगी। आवंटी द्वारा यदि उक्त वांछित धनराशि जमा नहीं की जाती है तथा सम्पत्ति के निरस्तीकरण हेतु आवेदन किया जाता है अथवा अदेयता के कारण सम्पत्ति का आवंटन निरस्त किया जाता है तो समस्त जमा पंजीकरण बयाना धनराशि (टोकन मनी) जब्त कर ली जायेगी। इस हेतु आवेदक का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा तथा निरस्त सम्पत्ति आगामी नीलामी में लगा दी जायेगी।

नकद क्रय पद्धति पर आवंटित भूखण्ड के कुल मूल्य के विरुद्ध देय सम्पूर्ण धनराशि इस प्रदेशन पत्र निर्गत तिथि से 45 दिन के अन्दर भुगतान करने पर भूखण्ड के कुल मूल्य पर 5 प्रतिशत की दर से छूट देय होगी जिसे आवंटी स्वयं समायोजित करते हुए शेष धनराशि जमा कर सकता है।

उक्त प्रदेशन पत्र आवंटन हेतु प्रस्तुत बैंक ड्राफ्ट परिषद् खाते में क्रेडिट होने के उपरान्त ही वैध/मान्य होगा।

रु० 50,00,000.00 से अधिक की सम्पत्ति पर सम्पत्ति के कुल मूल्य का एक प्रतिशत धनराशि टी०डी०एस० के रूप में आयकर फार्म सं० 26तथुबी पर आयकर विभाग में जमा की जायेगी तथा टी०डी०एस० जमा की सूचना फार्म सं० 16बी पर इस कार्यालय को देनी होगी। परिषद् का पैन नं० AAAJU0103A है।

सम्पत्ति प्रबन्धक

कु० प० उ०

श्री
बदायूं

श्री
बदायूं

अन्य शर्तें व निर्देश :-

- 1- परिषद के भवनों एवं भूखण्डों के पंजीकरण एवं आवंटन सम्बन्धी विनियम 1979 (यथा संशोधित 2016) तथा समय-समय पर परिषद द्वारा निर्गत किए गये नियम/आदेश आवंटी को मान्य होंगे।
- 2- यदि आवंटी द्वारा निर्धारित अवधि में वांछित धनराशि का भुगतान अथवा औपचारिकतायें पूर्ण कर सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त नहीं किया जाता है तो उन्हें 15 दिन का नोटिस भेजा जायेगा यदि फिर भी आवंटी कब्जा प्राप्त नहीं करते हैं तो परिषद नियमानुसार कटौती करते हुए सम्पत्ति का आवंटन एवं पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा जिसके लिए आवंटी स्वयं उत्तरदायी होगा।
- 3- सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित प्रपत्र दिनांक _____ तक इस कार्यालय में जमा कर दे अन्यथा रुपये _____ प्रतिदिन की दर से सम्पूर्ण प्रपत्र जमा करने की तिथि तक का विलम्ब शुल्क देय होगा। कब्जा पत्र निर्गत होने के 15 दिन के अन्दर भौतिक कब्जा न लेने पर रुपये _____ प्रतिदिन की दर से कब्जा लेने की तिथि तक का रख-रखाव शुल्क देय होगा।
- 4- समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त दो साक्षी के साथ कार्यालय में उपस्थित होकर अनुबन्ध/रजिस्ट्री निम्नादित कराकर निबन्धन कार्यालय में पंजीयन कराने के उपरान्त ही भौतिक कब्जा हेतु कब्जा पत्र निर्गत किया जायेगा जिसका दायित्व आवंटी का होगा।
- 5- विद्युत एवं जल कनेक्शन आदि का कार्य सम्बन्धित विभाग से आवंटी द्वारा स्वयं के व्यय पर कराना होगा। किसी भी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त महोदय का निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा।
- 6- भूखण्ड पर कब्जा प्राप्त करने की तिथि के 5 वर्ष के अन्दर सक्षम अधिकारी से मानचित्र स्वीकृत कराकर निर्माण कार्य पूर्ण करना होगा। निर्माण अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण न करने पर नियमानुसार अनिर्माण शुल्क देय होगा, जिसका भुगतान कर सक्षम अधिकारी से निर्माण हेतु समयवृद्धि प्राप्त करनी होगी।

भवदीय

सम्पत्ति प्रबन्धक

वांछित औपचारिकतायें जो दिनांक _____ तक पूर्ण की जानी है :-

- 1- भूखण्ड के विरुद्ध वांछित धनराशि जमा करने की समस्त मूल रसीदें प्रस्तुत करें।
- 2- विक्रय विलेख/किराया-किस्त क्रय किरायेदारी अनुबन्ध निष्पादन हेतु रुपये _____/- तथा 100/- का नॉन जूडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर प्रस्तुत करें। प्रवेशन पत्र निर्गत तिथि से 6 माह के उपरान्त स्टाम्प शुल्क सर्किल दर पर देय होगा। शासनादेश के अनुसार स्टाम्प शुल्क में कमी/वृद्धि हो सकती है। स्टाम्प शुल्क की गणना आप स्वयं भी करा लें।
- 3- राजपत्रित अधिकारी से अपने फोटोग्राफ एवं तीन नमूना हस्ताक्षर संलग्न निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्रमाणित कराकर दो प्रतियों में प्रस्तुत करें, प्रमाणितकर्ता का नाम व पता की मोहर सुस्पष्ट होना आवश्यक है।
- 4- रजिस्ट्री हेतु तीन नमूना पासपोर्ट साइज के प्रमाणित फोटोग्राफ प्रस्तुत करें।
- 5- आरक्षित वर्ग के व्यक्ति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करें।
- 6- संलग्न प्रारूप पत्र रुपये 10/- के नॉन जूडीशियल स्टाम्प पेपर पर मजिस्ट्रेट/सब जज/नोटरी से प्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत करें।
- 7- पैनकार्ड की सत्यापित फोटो प्रति प्रस्तुत करें।

शपथ पत्र का प्रारूप

समक्ष :- सम्पत्ति प्रबन्धक, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, बदायूं।

मैं (नाम) _____ उम्र _____ वर्ष पुत्र/पुत्री/पत्नी _____

व्याप्तसाय का विवरण _____ निवासी _____

मैं _____ निम्न प्रकार शपथपूर्वक कहता हूँ कि :-

- 1- मेरे/मेरी पत्नी/पति अथवा अवयस्क बच्चों के नाम कोई भूखण्ड/भवन पूर्णतया या अंशतः बदायूं नगर में नहीं है। और उ०प्र० के किसी अन्य शहर में एक से अधिक आवासीय भूखण्ड/भवन नहीं है।
- 2- मैं तथा मेरे/मेरी पत्नी/पति एवं अवयस्क बच्चों द्वारा उ०प्र० नगरीय सीमा में केवल एक भवन/भूखण्ड के प्रवेशन हेतु आवेदन करता/करती हूँ।
- 3- मेरी समस्त स्रोतों से रजिस्ट्रेशन से पूर्व वित्तीय वर्ष _____ की वार्षिक आय जिसमें मेरी/मेरी पत्नी/पति या अन्य आश्रित सम्बन्धी एवं अवयस्क बच्चों की आय भी सम्मिलित है कुल रुपये _____ से अधिक नहीं है।
- 4- मैं, _____ घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त अनुच्छेद 1 से 3 तक वर्णित तथ्य मेरी जानकारी में सही है और कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

स्थान _____

शपथी

दिनांक _____

प्रमाणित
मजिस्ट्रेट/सब जज/नोटरी

प्रमाणित फोटो एवं हस्ताक्षर का प्रारूप (पूर्ण पेपर पर दो प्रतियों में)		
नाम _____	फोटो	
पिता/पति का नाम _____		
पता _____		
आवंटित सम्पत्ति संख्या _____		
नमूने के हस्ताक्षर		
1. _____	2. _____	3. _____
उपर्युक्त फोटो, हस्ताक्षर व पता श्री _____ का है जिसे मैं प्रमाणित करता हूँ।		

(Handwritten signatures and marks)